

RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

Kumbha Marg, Sector-18, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur -302033

Phone: 0141-2795527, 2795550; Fax: 0141-2795550

Website: www.ruhsraj.org

ASSISTANT DRUG ANALYST RECRUITMENT EXAMINATION 2013

Information Booklet

Refer RUHS website (www.ruhsraj.org) for updated and relevant information.

Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur invites on-line applications in compliance of the order no. P9(6)(M&H)/2/97 dated 20.03.2013 of Medical & Health Department (Gr.-2), Govt. of Rajasthan, for direct recruitment of Assistant Drug Analyst.

Please read carefully

- 1) Notification
- 2) Information booklet
- 3) Instructions for filling the on-line application form
- 4) Syllabus etc.

available at the website, before you start filling the application form, on-line.

IMPORTANT DATES

Start date for filling of on-line application form at RUHS website	05.09.2013
Last date for submitting the on-line application form at RUHS website	25.09.2013 (12.00 midnight)
Date of examination	To be intimated later.
Receipt of printout of the on-line application form (along with RUHS copy of bank challan and all relevant documents)	To be intimated later.

APPLICATION FEE

All candidates have to pay non-refundable application fee of Rs. 3000/- (**Rs. 1500 for SC, ST category**) through bank challan at any branch of Oriental Bank of Commerce.

The application fee is neither refundable, nor transferable and nor adjustable for any other recruitments. Any plea in this matter shall not be entertained.

ELIGIBILITY CRITERIA

1. Educational Qualification

B.Pharm with 3 years experience of analysis of drugs in a laboratory under Govt. Analyst or

possesses Associateship Diploma of the Institution of Chemist (India) **obtained by passing the said examination with 'Analysis of Drugs and Pharmaceuticals' as one of the subjects** with 1 year experience of analysis of drugs in a laboratory under the control of Govt. Analyst

2. Other qualification

Knowledge of Hindi language in devnagri script (lipi) – to read, to write and to speak

3. Age limit

Minimum 22 years and maximum 47 years (as on the date of ADA Recruitment Examination 2013).

The relaxation in upper age limit for reserved category candidates in Rajasthan shall be applicable as per state government rules.

DETAILS OF POSTS

The details of posts, category wise, are as below:

S.No.	Category	Male	Female	Total
1	SC	01	--	01
2	ST	--	--	--
3	OBC	--	--	--
4	GEN	02	--	02
Total		03	--	03

The seats may be increased or decreased by the appointing authority.

MARRIAGE REGISTRATION CERTIFICATE

शासन के परिपत्र क्रमांक : प.6 (19) गृह-13/2006 दिनांक 22.06.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जमा होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को पंजीयन प्रमाण पत्र कार्यभार सम्भालने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.7(1) डी.ओ.पी./ए-11/1995/03 दिनांक 08/04/03 अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01/06/2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इस बाबत एक शपथ पत्र चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार सम्भालने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

APPLICATION PROCEDURE

Before filling the on-line application form, read the notification, information booklet etc. carefully. Ensure the eligibility and other requirements / criteria for recruitment as given in this booklet.

You should be very careful in filling-up the on-line application form. If any lapse is detected during the scrutiny, your candidature will be rejected even if you come through the final stage of recruitment process or even at a later stage.

IMPORTANT: HAND WRITTEN / TYPED / PHOTOSTAT COPIES / PRINTED APPLICATION FORM / SCREEN PRINTOUT WILL NOT BE ENTERTAINED.

Follow the steps as given in "Instructions to fill up on-line application form" available at the website.

In case you have any difficulty while filling on-line application form, send email to Helpline at ruhsada@gmail.com

On filling Part I of the application form, you can print Bank Challan form to deposit the application fee at any branch of Oriental Bank of Commerce and obtain the same with Bank Transaction ID.

Note the Form no. (User ID) for further steps. Keep it safe.

Ensure that Bank transaction ID is mentioned on all the three slips (by the branch of Oriental Bank of Commerce where you deposit the application fee using your bank challan).

After payment of application fee you can access to Part II of the on-line application form by entering your Form no. and date of birth.

EXAMINATION

The syllabus for the on-line examination is available at the RUHS website.

The date of on-line examination shall be notified in due course.

There shall be 100 multiple choice questions of one mark each. There shall be no negative marking.

The RUHS reserves the right to create cities / centre(s) for examination and also to call the candidates for the examination at any city / centre.

The details relating to conduct of the examination shall be available at the RUHS website in due course.

Candidates trying to use unfair means shall be disqualified from the recruitment. No correspondence whatsoever will be entertained from the candidates.

You should make sure of your eligibility to the post and that the declaration made by you in the format of application regarding your eligibility is correct in all respects. You will be liable to any legal action and / or termination from the services as may be deemed fit by the appointing authority, Govt. of Rajasthan, Jaipur in case it is found that you have furnished in-correct information or made false declaration regarding your eligibility at any stage or suppressed any information.

The jurisdiction for legal cases arising out of the recruitment process shall be limited to the competent courts at Rajasthan only.

The decision of the RUHS in all aspects and all respects pertaining to the application and its acceptance or rejection as the case may be, conduct of examination and at all consequent stages culminating in the selection or otherwise of any candidate shall be final in all respects and binding on all concerned.

RUHS reserves its right to alter and modify time and conditions laid down in the notification for conducting the various stages up to selection, duly intimating details thereof on the RUHS website, as warranted by any unforeseen circumstances arising during the course of this process, or as deemed necessary by the RUHS at any stage.

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प0 9(6) चिस्वा/2/97

जयपुर, दिनांक : 20-2-13

रजिस्ट्रार,
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,
प्रताप नगर, जयपुर।

विषय: सहायक औषधि विश्लेषक के 3 पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सहायक औषधि विश्लेषक के रिक्त 3 पदों का विस्तृत विवरण (अर्थना) संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि उक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करावें।

भवदीया


(Handwritten signature)

(अल्पा चौधरी)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निदेशक (जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक शासन सचिव



(Handwritten signature)

S.O (Encl)

(Handwritten signature)

सीधी भर्ती हेतु अर्थना पत्र

फार्म सं० 71/र./आर.पी.एस.सी.

1 (क) पद का नाम (हिन्दी) में : सहायक औषधि विश्लेषक
पद का नाम (अंग्रेजी) में : Assistant Drug Analyst

(ख) भरे जाने वाले पदों की कुल संख्या : तीन

वर्ग	पुरुष	महिला	योग
1 अनुसूचित जाति	1		1
2 अनुसूचित जनजाति			
3 अन्य पिछड़ा वर्ग			
4 सामान्य वर्ग	2		2
कुल योग	3		3

(पद अधीनस्थ सेवा के होने की स्थिति में ही यह कालम लागू होगा)

(ग) भरे जाने वाले पद/पदों का रिक्ति वर्ष : 2009-10
1 अर्धे - नहीं
2 बहरे और गूगे- नहीं
3 अस्थि विकृत विकलांग- नहीं
(ओ एल एवं ओ ए)

3. यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा जाति/विकलांग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो पदों को निम्नानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावे या उक्त जातियों के अभ्यर्थियों से भरा जावे स्पष्ट रूप से उल्लेख करे।
कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.06.04 के अनुसार यदि आरक्षित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो सामान्य अभ्यर्थी से भर दिये जावे।

नोट :- अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित पदों की कुल स्पष्ट संख्या रोस्टर प्रणाली के आधार पर उपरोक्त भाग में अंकित करने का उत्तरदायित्व नियुक्ति अधिकारी का होगा।

2 (क) पद राज्य सेवा का अथवा अधीनस्थ सेवा का है : राज्य सेवा
(ख) पद किस सेवा नियम के अन्तर्गत भरा जाना है : राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963

(ग) पद अथवा पदों की प्रख्यापित {Prescribed} सेवा नियमों के शिड्यूल में अस्थाई रूप से यदि समाविष्ट किया गया हो तो उस आदेश एवं अस्थाई शिड्यूल की प्रति भी अर्थना के साथ अवश्य संलग्न करें

3 (क) पद स्थाई है अथवा अस्थाई : अस्थाई

(ख) यदि अस्थाई है तो :

1. पद अस्थाई स्वीकृति की अवधि कब तक की है :
2. क्या पद अनिश्चित काल तक बने रहने की संभावना है : हाँ
3. क्या पद स्थाई की संभावना है : हाँ

(ग) क्या पदों पर तदर्थ नियुक्ति/नियुक्तियों की हुई है, यदि हाँ तो पदों पर अभी तक तदर्थ/क्या उनकी नियुक्तियाँ प्रख्यापित सेवा नियमों के अंतर्गत नई भर्ती संविदा पर नियुक्ति नहीं की गई है।
(अल्पकालीन विज्ञापन/पदोन्ति/स्थानान्तरण/संविदा {Contact} द्वारा की गई है, कृपया स्पष्ट उल्लेख करें

(घ) पद पर कौन कार्य कर रहा है/रहे थे/रहे हैं तथा :

रिक्त

अर्थना के साथ सूची संलग्न करें।

(ङ) पद /पदों के रिक्त होने के कारण :

एक पद-पदोन्नति के कारण
तथा दो पद नवसृजित होने
के कारण

4 (क) योग्यताएं :- अनिवार्य (हिन्दी) में अनुभव :
Qualification (Essential) & Experience in English

1. प्रपत्र संलग्न

2. देवनागरी लिपि में लिखी
हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान

(ख) योग्यताएं/अनुभव अधिमान्य (हिन्दी) में :

1. योग्यता अनुभव अर्जित करने का सबूत
देना होगा।

2. देवनागरी लिपि में लिखी
हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान

वांछित योग्यता एवं अनुभव
आवेदन-पत्र प्राप्ति की
अंतिम दिनांक तक प्राप्त
होना आवश्यक है।

- नोट :- 1. यदि पद से संबंधित सेवा नियम बने हैं या पद को संबंधित सेवा नियमों के शिड्यूल में सम्मिलित नहीं किया गया है तो उसके लिये निर्धारित योग्यता अनुभव आदि के आदेशों की प्रति भी अर्थना के साथ अवश्य संलग्न करें।
2. यदि योग्यता से समकक्ष योग्यता भी हो तो इस समकक्ष योग्यताओं की सूची संलग्न करें।
3. यदि योग्यताओं में मान्य संस्थाएं संबंधित हो तो उन समस्त मान्य संस्थाओं की सूची संलग्न करें।
4. यदि योग्यताओं में विशेष प्रशिक्षण का उल्लेख हो तो प्रशिक्षण का पूर्ण उल्लेख करें की वह किस प्रकार का हो तथा कहाँ से प्रशिक्षण लिया गया है।

5 (क) पद का वेतनमान :

वित्त विभाग (रुल्स डिविजन) के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 11 (7)एफडी (रुल्स)/2008 दिनांक 12.09.2008 के नियम 21 के शिड्यूल IV के अनुसार PB-3 15300-39100 (15) ग्रेड पे 5400 में निर्धारित पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रु. 16800/- प्रतिमाह की दर से दो वर्ष तक परीक्षा प्रशिक्षण पर।

परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

परीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेशन योजना परीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

(ख) अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन कितना व किन :
परिस्थितियों में

नहीं

नोट:- यदि पद नवीन वेतनमान में सम्मिलित नहीं है तो वेतनमान/अग्रिम वेतन वृद्धि उच्च वेतन से संबंधित आदेशों की प्रति अर्थना के साथ अवश्य संलग्न करें।

6. आयु (क) आयु सीमा- न्यूनतम एवं अधिकतम : 22 वर्ष न्यूनतम एवं 47 वर्ष अधिकतम राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 25.08.04 के अन्तर्गत।

(ख) अधिकतम आयु सीमा में छूट :-

अनु. जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट (संलग्न अनुसूची 4 के अनुसार)

1. राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 10 के अंतर्गत
2. कार्मिक विभाग के अधिसूचना क्रमांक प.7(2)कार्मिक/क-2/93 पार्ट दिनांक 25.05.2000 के अनुसरण में अन्य पिछड़ी जाति के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
3. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.09.2000 के अनुसरण में सामान्य वर्ग के निःशक्त जन के लिये अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष अन्य पिछड़ेवर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा में 13 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निःशक्त जन के लिये अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी।
4. कार्मिक विभाग के अधिसूचना क्रमांक प07 (2) कार्मिक/क-2/84 भाग 18 दिनांक 30.04.2001 के अनुसरण में राजस्थान के अ0जा0/अ0ज0जा0 अन्य पिछड़ी जाति की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट एवं सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।

नोट:- आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूट संबंधित सेवा नियमों के अनुसार सही-सही भरें। यदि पद से संबंधित सेवा नियम नहीं बने हैं या संबंधित सेवा नियमों में सम्मिलित नहीं हुये हैं तो आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूट के आदेशों की प्रतियां अवश्य ही अर्धना के साथ संलग्न करें।

- | | |
|---|--|
| 7. पद/पदों से संबंधित कार्य (हिन्दी) में:- | औषधि विश्लेषण संबंधित कार्य |
| 8. मुख्यालय :- | जयपुर। |
| 9. परीक्षा काल की अवधि परीक्षा काल (प्रोबेशन) प्रशिक्षण : (ट्रेनिंग) विभागीय परीक्षा, यदि आवश्यक हो तो उसका विवरण | परीक्षा काल की दो वर्ष |
| 10. क्या पद पेंशन योग्य है :- | नहीं, अंशदायी पेंशन योजना के अधीन |
| 11. अवधि जिसके अन्तर्गत आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी/ अभ्यर्थियों की नियुक्ति की दिनांक से कार्यभा संभालना है। | नियुक्ति/पदस्थापित आदेश जारी होने के एक माह में। |
| 12. अन्य सुविधाओं यथा निशुल्क निवास विद्युत-जल इत्यादि | नहीं |

कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.7(1) डी.ओ.पी./ए-11/1995/03 दिनांक 08.04.2003 अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति का लिए पात्र नहीं होगा।

शासन के परिपत्र क्रमांक : प.6 (19) गृह-13/2006 दिनांक 22.06.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जमा होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस अर्धना प्रपत्र में दिये गये विवरण पूर्णतः संबंधित सेवा नियमों/राजस्थान सेवा नियमों/ राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियमों और इस विषय में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये स्थाई अनुदेशों {Standing Instruction} के अनुसार है और निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्यालय अनुदेशों {Executive Instructions} के अनुसार अर्धना प्रपत्र भेजने के लिये सक्षम है।

निदेशक (जन स्वा.)
सदीन अधिकारी के हस्ताक्षर
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
नाम व पद एवं मोहर

47

दिनांक :

प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर पद नाम व मोहर

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प0 9(6) चिस्वा/2/97

जयपुर, दिनांक :

15-5-13

कुलसचिव
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,
प्रताप नगर,
जयपुर।

विषय:—सहायक औषधि विश्लेषक के 3 पदों पर सीधी भर्ती के संबंध
में।

संदर्भ:—आपका पत्र क्रमांक एफ 110/प्रवेश परीक्षा शाखा/राज.स्वा.
वि.वि./2013/551 दिनांक 15.4.2013 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में सहायक औषधि
विश्लेषक के 3 पदों को भरने के संबंध में वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रपत्र
संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

S.O (Ext.)

h

18/5/13

64

भवदीय
शासन उप सचिव



राजस्थान राज-पत्र

विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

Regd. No. RJ. 27/7/93
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

श्रावण 25, बुधवार, साके 1917—अगस्त 16, 1995
Shravana 25, Wednesday, Saka 1917—August 16, 1995

भाग 4

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य
आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम ।

कार्मिक विभाग

(क-ए-ए-II)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 2, 1995

श्री. एस. आर. 51 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परमपुत्र द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में, इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त नियमों से संलग्न द्वितीय अनुसूची में विद्यमान स्तंभ सं. 6 के परचासू
निम्नलिखित नया स्तंभ सं. 7 जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“अन्यक्तियां”

7

2. उक्त नियमों से संलग्न द्वितीय अनुसूची में क्रम सं. 6 पर की विद्यमान प्रविष्टि
के परचासू 26-8-85 से, सिविल क्र. सं. 10 की प्रविष्टि के, जो कि दिनांक 13-4-1992

से इजाजती होगी, निम्नलिखित शर्तों का प्रायोग, अर्पित :-

1	2	3	4	5	6
श्रीवध निर्वहण संगठन					
वरिष्ठ पर					
7. उप श्रीवधि निर्वहण	100% प्रयोगिता द्वारा	-	सहायक श्रीवधि निर्वहण/ श्रीवधि विरलेवक	स्तम्भ सं. 5 में उल्लिखित पर पर पांच वर्ष का अनुभव	प्रयोगिता के प्रयोगिता सहयोगी श्रीवधि निर्वहण और श्रीवधि विरलेवक का अन्तर्गत नियमित अर्पण के पश्चात् अगली लेखाकाल के आधा पर होता। यदि श्रीवधि का समय हो तो श्रीवधि विरलेवक एक में कानून होगा क्योंकि यह किसी अन्य आक्यस से आया है।
8. सहायक श्रीवधि निर्वहण	100% प्रयोगिता द्वारा	-	श्रीवधि निर्वहण के	स्तम्भ सं. 5 में उल्लिखित पर पर पांच वर्ष का अनुभव	-
9. श्रीवधि विरलेवक	100% प्रयोगिता द्वारा	-	सहायक श्रीवधि विरलेवक	स्तम्भ सं. 5 में उल्लिखित पर पर पांच वर्ष का अनुभव	-
10. सहायक निर्वहण विधि एवं उपभोगता (श्रीवधि निर्वहण) कनिष्ठ पर	100% प्रयोगिता द्वारा	-	विधि विरलेवक तकनीकी अधिकारी	स्तम्भ सं. 5 में उल्लिखित पर पर पांच वर्ष का अनुभव	-
11. श्रीवधि निर्वहण	100% लीखी प्रयोगिता द्वारा	-	अंला कि समय-अवधि पर क्या- संशोधित श्रीवधि और प्रभावित विरलेव 1945 के नियम 49 में विहित है।	-	-

12. सहायक औद्योगिक विशेषक 100% सीधे सभी द्वारा
- डॉ. फार्मा और सरकारी विशेषक के अधीन किसी प्रयोगशाला में औद्योगिकों के विशेषण का होना साल का अनुभव या "औद्योगिक एवं प्रबंधन का विशेषण" विषय के साथ एग्रेसिवेटिव डिप्लोमा आफ दी इन्स्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट (इण्डिया) जो अबत परीक्षा अतीत करने प्राप्त किया हुआ हो, रखा हो साथ ही सरकारी विशेषक के नियंत्रण के अधीन किसी प्रयोगशाला में औद्योगिकों के विशेषण का एक वर्ष का अनुभव ।
13. विधिक तकनीकी अधिकारी 100% पब्लिशिंग द्वारा
1. भारत में विधिक द्वारा स्थापित किसी विधिक विद्यालय से विधिक स्नातक डिग्री ।
2. औद्योगिक नियंत्रण में विधिक तकनीकी सहायक के पद पर 3 वर्ष का अनुभव ।

[संख्या एक. 1 (2) काजिकाक-2/86/31/95]

राजस्थान के आदेश और नाम से,
 डी. के. पाण्डे,
 राजस्थान सचिव ।

७५ (४)

राजस्थान राज पत्र, अगस्त १६, १९९५

भाग ४ (ग)

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.II)

NOTIFICATION

Jaipur, August १, 1995

G.S. R. 51.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendment in the Rajasthan Medical & Health Service Rules, 1963, namely :—

AMENDMENT.

1. In the second schedule appended to the said rules after existing column No: 6 the following new column No. 7 shall be added, namely:—

"REMARKS"

7

2. In the second schedule appended to the said Rules after the existing entry at S. No. 6, the following shall be added with effect from 26-8-85 except the entry of S. No. 10 which shall

1	2	3	4	5	6	7
JUNIOR POST						
11.	Drug Inspector	100 % by direct recruitment	As prescribed in Rule 49 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 as amended from time to time.	—	—	—
12.	Asstt. Drug Analyst	100 % by direct recruitment	B. Pharma with three years experience of analysis of Drugs in a Laboratory under Govt. Analyst or posses the Associateship Diploma of the Institution of Chemist (India)	—	—	—

obtained by
passing the
said examina-
tion with
"Analysis of
Drugs and
pharmaceuti-
cals" as one
of the sub-
jects with
one year
experience
of analysis
of Drugs in
a Laboratory
under the
control of
Govt. Ana-
lyst.

13. Legal Technical 100% by
Officer promotion

Legal Tech-
nical Asstt.
in Drug
Control.

1. Bachelors Degree in
Law of a University
established by law in
India.

have effect from 13-4-1992, namely:—

1	2	3	4	5	6	7
DRUG CONTROL ORGANISATION						
	SENIOR POST					
7.	Dy. Drug Controller	100% by promotion	—	Asstt. Drug Controller/ Drug Anal- yst.	Five years experience on the post mentioned in Col. No. 5	For the purpose of promotion the interlacing of Asstt. Drug Controller & Drug Analyst shall be on the basis of length of continuous service after regular selections. If length is equal, the Drug Analyst shall rank Junior as he is coming from another channel.
8.	Asstt. Drug Controller	100% by promotion	—	Drug Inspector	Five years experience on the post mentioned in col. No. 5.	
9.	Drug Analyst	100% by promotion	—	Asstt. Drug Analyst	Five years experience on the post mentioned in Col. No. 5	
10.	Asstt. Director Legal & Consumer Protection. (Drug Control)	100% by promotion	—	Legal Technical Officer	Five years experience on the post mentioned in Col. No. 5	

[No. F. 1 (2) DOF/A II/86 - 31-95]

By Order and in the name of the Governor.

ए. कं. पा.

Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.



राजस्थान राज-पत्र

विशेषक

साधिकार प्रकाशित

Regd. No. RJ. 27/7/93
RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

श्रावण 25, बुधवार, साके 1917—अगस्त 16, 1995
Srayana 25, Wednesday, Saka 1917—August 16, 1995

भाग 4

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य
आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम ।

कार्यक विभाग

(क-१५-II)

प्रधिसूचना

जयपुर, अगस्त 2, 1995

श्री. एस. आर. 51 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में, इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त नियमों से संलग्न द्वितीय अनुसूची में विद्यमान स्तंभ सं. 6 के पश्चात्
निम्नलिखित नया स्तंभ सं. 7 जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"अभ्युक्तिपत्र"

7

2. उक्त नियमों से संलग्न द्वितीय अनुसूची में क्रम सं. 6 पर की विद्यमान प्रविष्टि
के पश्चात् 26-8-85 से, सिविल क्र. सं. 10 की प्रविष्टि के, जो कि दिनांक 13-4-1992

से प्रजावी होगी, निम्नलिखित छोटा खोला, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6
श्रीषधि नियंत्रक संगठन					
वरिष्ठ पत्र					
7. उप श्रीषधि नियंत्रक	100% परोक्षता द्वारा	सहायक श्रीषधि नियंत्रक/ श्रीषधि विरोधी	सं. 5 में उल्लिखित पत्र पर पांच वर्ष का अनुभव		परोक्षता के प्रयोज्यार्थ सहयोगी श्रीषधि नियंत्रक और श्रीषधि विरोधी का अंतर्गमन : नियमित अंतर के पर्याप्त अंतराल से जांचा जायेगा। यदि किसी कारण से समान हो तो श्रीषधि विरोधी एक से अधिक होगा क्योंकि यह किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त है।
8. सहायक श्रीषधि नियंत्रक	100% परोक्षता द्वारा	श्रीषधि विरोधी	सं. 5 में उल्लिखित पत्र पर पांच वर्ष का अनुभव		
9. श्रीषधि विरोधी	100% परोक्षता द्वारा	सहायक श्रीषधि विरोधी	सं. 5 में उल्लिखित पत्र पर पांच वर्ष का अनुभव		
10. सहायक निदेशक विधि एवं उपनियमों के अंतर्गत (श्रीषधि नियंत्रक) कनिष्ठ पत्र	100% परोक्षता द्वारा	विधि सहायक श्रीषधि विरोधी	सं. 5 में उल्लिखित पत्र पर पांच वर्ष का अनुभव		
11. श्रीषधि निरोधक	100% सीधी वहाँ द्वारा	सं. 5 में उल्लिखित पत्र पर पांच वर्ष का अनुभव			

सं. 5 में उल्लिखित पत्र पर पांच वर्ष का अनुभव

100% सीधी वहाँ द्वारा

सं. 5 में उल्लिखित पत्र पर पांच वर्ष का अनुभव

सं. 5 में उल्लिखित पत्र पर पांच वर्ष का अनुभव

सहायक औषधि
वितरक

100% सीधी
मर्जी द्वारा

डो. फार्मा और सरकारी वितरक
के अधीन किसी प्रयोगशाला में
औषधियों के विश्लेषण का बीज
साल का अनुभव या "औषधि एवं
मेबल का विश्लेषण" विषय के
साथ एंथोसिपेटरिप डिप्लोमा आफ
दो इन्स्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट्री
(इण्डिया) जो उन्नत परीक्षा अतीत
करके प्राप्त किया हुआ हो, रहता हो
साथ ही सरकारी वितरक के
नियंत्रण के अधीन किसी प्रयोगशाला
में औषधियों के विश्लेषण का एक
वर्ष का अनुभव ।

13. विधिक तकनीकी
सहायक

100% पोस्महि
द्वारा

सौख्य नियंत्रण में
विधिक तकनीकी
सहायक

1. भारत में किसी द्वारा
स्वीकृत किसी विधिक
विद्यालय से विधिक
स्नातक डिग्री ।
2. औषधि नियंत्रण में
विधिक तकनीकी
सहायक के पद पर
3 वर्ष का अनुभव ।

[संख्या एक. 1 (2) कारिकाक-2/86/31/95]

राज्यपाल के द्वारा जो नाम से,
इ. के. पाण्डे
-राजन सचिव

have effect from 13-4-1992, namely:—

1	2	3	4	5	6	7
DRUG CONTROL ORGANISATION						
SENIOR POST						
7.	Dy. Drug Controller	100% by promotion	—	Asstt. Drug Controller/ Drug Anal- yst	Five years experience on the post mentioned in Col. No. 5	For the purpose of promotion the interlacing of Asstt. Drug Controller & Drug Analyst shall be on the basis of length of continuous service after regular selections. If length is equal, the Drug Analyst shall rank Junior as he is coming from another channel.
8.	Asstt. Drug Controller	100% by promotion	—	Drug Inspector	Five years experience on the post mentioned in col. No. 5.	
9.	Drug Analyst	100% by promotion	—	Asstt. Drug Analyst	Five years experience on the post mentioned in Col. No. 5.	
10.	Asstt. Director Legal & Consumer Protection. (Drug Control)	100% by promotion	—	Legal Technical Officer	Five years experience on the post mentioned in Col. No. 5	

1	2	3	4	5	6	7
JUNIOR POST						
11.	Drug Inspector	100% by direct recruitment	As prescribed in Rule 49 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 as amended from time to time.	—	—	—
12.	Asstt. Drug Analyst	100% by direct recruitment	B. Pharma with three years experience of analysis of Drugs in a Laboratory under Govt. Analyst or posses the Associateship Diploma of the Institution of Chemist (India)	—	—	—

obtained by
passing the
said examina-
tion with
"Analysis of
Drugs and
pharmaceuti-
cls" as one
of the sub-
jects with
one year
experience
of analysis
of Drugs in
a Laboratory
under the
control of
Govt. Ana-
lyst.

13. Legal Technical 100% by
Officer promotion

Legal Tech-
nical Asstt.
in Drug
Control.

1. Bachelors Degree in
Law of a University
established by law in
India